फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मुकेश चन्द्र गाडरी नि0 लठिया खेड़ी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 47/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक 22.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से जरिये पृष्ठांकित क्रमांक/सू0 अ0 2005 /2024/309 दिनांक 19.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रशनात्मक एवं सृजनात्मक श्रेणी की होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं आने से एवं इस कार्यालय से उपलब्ध रिकॉर्ड से चाही गयी सूचना उपलब्धं नहीं होने के कारण नियमों के परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रशनात्मक एवं सृजनात्मक श्रेणी की होने तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज की जाती है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)